छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपकम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)

क्रमांक 01–04/पीडी–छः/434 रायपुर, दिनांक 31 JAN 2012

आदेश

पूर्ववर्ती मण्डल के परिपत्र क्रमांक संस.(का)/पीडी–3/1680 दिनांक 01.03.02, सहपठित क्रमांक 3564 दिनांक 27.09.04, क्रमांक 01–05/पीडी–तीन/1204 दिनांक 28.02.04 एवं क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/1343 तथा क्रमांक 1345, दिनांक 25.03.08 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती मण्डल (वर्तमान में विद्युत कंपनियों) की सेवा में रहते हुए दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित निम्नलिखित आवेदकों को अनुकंपा आधार पर प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के लिये **कार्यभारित परिचारक श्रेणी–तीन (लाइन)** के पद पर वेतनमान रू0 8050–225–10525–450–14575/– के प्रारंभिक वेतन रू0 8050/– (रूपये आठ हजार पचास) पर नियुक्त कर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालयों में कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से पदस्थ किया जाता है। उन्हें समय समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों की भी पात्रता होगीः–

क्रमांक	नाम सर्वश्री	पिता/पति का नाम (मृतक/अक्षम कर्मचारी का नाम)	कार्यालय जहॉ मृतक कर्मचारी पदस्थ था	कार्यालय जिसके अधीन पदस्थ किया जाता है
1	खीरभूषण	कलेश्वर राम परि0श्रे0–एक (ला)	संचा0/संधा0 संभाग–1 रायगढ़	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, बिलासपुर
2	अरूण कुमार	नानसाय ला0सहा0श्रेणी–दो	संचा0/संधा0 संभाग मनेन्द्रगढ़	मुख्य अभियंता (अंबि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, अंबिकापुर
3	दिग्विजय पात्रे	गुलाब चन्द पात्रे परि0श्रे0–तीन (ला)	संचा0/संधा0 संभाग कवर्धा	मुख्य अभियंता (राज0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0,राजनांदगांव
4	के0विजय कुमार	जी0कन्नन परि0श्रे0–एक (ला)	संचा0/संधा0 संभाग कवर्धा	मुख्य अभियंता (राज0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0,राजनांदगांव
5	लक्ष्मण प्रसाद यादव	जवाहर लाल यादव वाहन चालक	संचा0/संधा0 संभाग मुंगेली	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, बिलासपुर
6	हीरासिंह	गोपाल राम परि0श्रे0–एक (ला)	संचा0/संधा0 संभाग डोंगरगढ़	मुख्य अभियंता (राज0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0,राजनांदगांव
7	मनमोहन सिंह राठौर	जयराम राठौर संयं0पर्य0श्रेणी–तीन	अधी0यंत्री (ET&I) DSPM कोरबा पूर्व	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, बिलासपुर
8	झुमुक कोठारी	ईश्वर दास कोठारी कार्या0सहा0श्रेणी–एक	संचा0/संधा0 संभाग बेमेतरा	मुख्य अभियंता (रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, रायपुर
9	धीरज देवांगन	तुकाराम देवांगन परि0श्रे0–एक (ला)	संचा0/संधा0 संभाग कोण्डागांव	मुख्य अभियंता (जग0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, जगदलपुर
10	प्रताप कुमार साहू	भाउ राम साहू परि0श्रे0–एक (ला)	संचा0/संधा0 संभाग रायपुर	मुख्य अभियंता (रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, रायपुर
11	परषोत्तम	चिंताराम साहू परि0श्रे0–एक (ला)	संचा0/संधा0 संभाग रायपुर	मुख्य अभियंता(रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, रायपुर
12	संजय कौशिक	शिवराम कौशिक परि0श्रे0–एक (ला)	संचा/संधा संभाग अकलतरा	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, बिलासपुर

13	लवकुमार	मोहन साहू परि0श्रे0–दो (ला)	एसटीआरई संभाग बिलासपुर	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, बिलासपुर
14	मनीराम मरकाम	तातुराम परि0श्रे0–एक (ला)	संचा0 / संधा0 संभाग कोण्डागांव	मुख्य अभियंता (जग0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, जगदलपुर
15	धनेश राम साहू	गौकरण साहू परि0श्रे0–दो (ला)	संचा0 / संधा0 संभाग बालोद	मुख्य अभियंता (रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, रायपुर
16	हेलारियुस तिग्गा	लक्ष्मण प्रसाद ला0सहा0श्रेणी–दो	संचा0 / संधा0 संभाग अंबिकापुर	मुख्य अभियंता (अंबि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, अंबिकापुर
17	असवन विश्वकर्मा	फेकूराम विश्वकर्मा परि0श्रे0–दो (ला)	संचा0 / संधा0 संभाग गरियाबंद	मुख्य अभियंता (रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, रायपुर
18	दिनेश कुमार निषाद	दीनानाथ निषाद परि0श्रे0–दो (ला)	संचा0 / संधा0 संभाग बेमेतरा	मुख्य अभियंता (रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, रायपुर
19	सत्यनारायण साहू	मोतीलाल साहू वाहन चालक	संचा0 / संधा0 संभाग–1 रायगढ़	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, बिलासपुर
20	चेतन कुमार	समारू राम सतनामी ला0सहा0श्रेणी–दो	संचा0 / संधा0 संभाग भाटापारा	मुख्य अभियंता(रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0 रायपुर
21	विनोद कुमार यादव	मिट्ठू लाल यादव परि0श्रे0–दो (सि)	सिविल सभाग बिलासपुर	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, बिलासपुर
22	राहुल शर्मा	रामनाथ शर्मा परि0श्रे0–एक (ला)	शहर संभाग भिलाई	मुख्य अभियंता (रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, रायपुर
23	राजू	टीकाराम वर्मा परि0श्रे0–एक (ला)	संचा0 / संधा0 संभाग बेमेतरा	मुख्य अभियंता (रा0क्षे0) छ0रा0वि0वित0कं0मर्या0, रायपुर

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उपरोक्त आवेदकों को दो वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा ।

यह नियुक्ति कंपनी द्वारा समय–समय पर विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79(सी) / विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तो द्वारा नियंत्रित होंगी साथ ही इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों के अलावा अन्य सभी प्रकरणों में यह नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह की सूचना अथवा उसके बदले में सभी भत्तों सहित एक माह के वेतन का भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है।

राज्य शासन / केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई परिपत्र अथवा ज्ञापन कंपनी द्वारा ग्राहय किये जाने पर अथवा उनके कंपनी पर लागू होने की स्थिति में वे नियम उम्मीदवारों को बाध्यकारी होंगे।

नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवारो पर पूर्ववर्ती मंडल की अधिसूचना क्रमांक 01–01 / 47 दिनांक 05.09.07 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर

क्रमांक 01–04 / पीडी–छ: / 435
रायपुर, दिनांक 31 JAN 2012

प्रतिलिपि:–

(1) कार्यपालक निदेशक ( ) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....

(2) मुख्य अभियंता (EITC) छ0रा0वि0 वितरण कंपनी मर्या0 [illegible]

(3) महाप्रबंधक (वित्त) छ0रा0 विद्युत वितरण / होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर।

(4) अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0) छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित रायपुर।
(5) उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0रा0 विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर।
(6) अधीक्षण यंत्री (......................) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(7) कार्यपालन यंत्री (....................) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(8) वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(9) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष छ0रा0 विद्युत कंपनी मर्यादित, रायपुर।
(10) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित, रायपुर।
(11) श्री ....

....

—को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. उपरोक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र संलग्न प्रेषित हैं, जिसे उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लिया जावे। जन्मतिथि का मिलान पांचवी, आठवीं या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण—पत्र से ही किया जावे।

3. पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथ—पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसका पुत्र (विवाहित / अविवाहित) पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

4. उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सालय के सहायक चिकित्साधिकारी / अधिकृत चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. उम्मीदवारों के कार्य पर उपस्थित होते समय उनसे चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा लिया जावे तथा उनसे इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे की यदि चरित्र सत्यापन में उन्हें कंपनी की सेवा / शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

6. उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

7. उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण की तिथि तत्काल इस कार्यालय को सूचित की जावे।

8. परिचारक श्रेणी—तीन (लाइन) के पद पर कार्य पर उपस्थिति स्वीकार करने के पूर्व यह ध्यान से देखा जावे कि उम्मीदवार लाईन के कार्य हेतु सक्षम है अथवा नहीं, उम्मीदवार में किसी भी तरह की विकलांगता पाये जाने की स्थिति में उसकी कार्य पर उपस्थिति स्वीकार न करते हुए प्रकरण इस कार्यालय को उचित निर्देशनार्थ प्रेषित किया जाये।

9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त उपरोक्त उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण—पत्र / अभिलेख इत्यादि अपने साथ अवश्य लायें :—

(i) जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र की मूल प्रति (पांचवी, आठवीं या हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ii) जिला चिकित्सालय के सहायक चिकित्साधिकारी / अधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण—पत्र।

(iii) पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में उम्मीदवार को मृतक कर्मचारी की विधवा का यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका वह पुत्र (विवाहित / अविवाहित) जिसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है,पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित हैं एवं परिवार से अलग नहीं है ।

(iv) दिनांक 25.03.08 के पश्चात मृतक कर्मचारी की विधवा / पुत्र / पुत्री जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, को कार्यभार ग्रहण करने के समय तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी के विधवा के नाम जारी आय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों को यह घोषणा–पत्र देना होगा कि चरित्र सत्यापन में यदि उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है, तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

– पैरा 2 से 8 तक संबंधित कार्यालय प्रमुख के लिये जिनके कार्यालय में नियुक्ति की जा रही है।

– पैरा 9 नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार के लिए।

संलग्नः– यथोपरि (संबंधित कार्यालयों के लिए जहां पदस्थ किया जाता है।)

प्रबंधक (मा0सं0)–छः
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर